

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक- एफ-5(प)(57)एसीटीएडी/माडा/JKN/मा.सं.छात्रा.नि./2021-22/

दिनांक- 19/8/2021

23467-85

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
बाडमेर/जालोर/पाली।

विषय- मारवाड संभाग में रहने वाली जनजाति छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति।

राज्य सरकार से पत्रावली के पैरा संख्या-11-22/एन पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में मारवाड संभाग में रहने वाली जनजाति छात्राओं हेतु निम्नांकित 4 छात्रावास निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है एवं कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नियुक्त किया जाता है-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	क्षमता	जिला	राशि
1.	जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, चौहटन	50	बाडमेर	280.00
2.	जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, बालोतरा	50	बाडमेर	280.00
3.	जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, रानीवाडा	50	जालोर	280.00
4.	जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, बाली	50	पाली	280.00
			योग	1120.00

संलग्न मॉडल ड्राईंग अनुसार कृपया कार्यकारी एजेन्सी से ड्राईंग, साईट प्लान, 3D elevation, विस्तृत तकमीना व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत करावें ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके।

संलग्न- मॉडल ड्राईंग एवं पत्र।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
आयुक्त

क्रमांक- एफ-5(प)(57)एसीटीएडी/माडा/JKN/मा.सं.छात्रा.नि./2021-22/
प्रतिलिपी -

दिनांक-

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
2. प्रमुख/संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बाडमेर/जालोर/पाली।
4. अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जोधपुर।
5. प्रशासक/प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जोधपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड-II, जोधपुर/सुमेरपुर जिला-पाली को भेजकर लेख है कि साईट प्लान एवं ड्राईंग अनुमोदन हेतु शीघ्र प्रस्तुत करें।
9. मोनिटरिंग प्रकोष्ठ/लेखाकार (माडा)/माडा मॉनिटरिंग/अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर शाखा/गार्ड फाईल।

11
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

क्रमांक : निस/प्र.शा.स/टीएडी/2021/194

जयपुर, दिनांक: 24/2/2021

आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय :- छात्रावासों के निर्माण हेतु नवीन नॉर्म्स।

विभिन्न विभागों द्वारा बनाये गए छात्रावासों के निर्माण हेतु नॉर्म्स में एकरूपता लाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये गए थे। वित्त विभाग और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है।

इस पत्र के साथ प्रेषित वित्त विभाग द्वारा किये गए अनुमोदन की प्रति संलग्न कर लेख है कि भविष्य में छात्रावासों का निर्माण इन अनुमोदित नॉर्म्स के हिसाब से ही किया जाए। साथ ही पूर्व में निर्मित छात्रावासों में सुधार इत्यादि भी इन्हीं मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किये जाएं।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

Putup proposal
Accordingly

275(1)

123.21

आयुक्त

प्रकोष्ठ 2570

आवक संख्या 03/02/21

दिनांक 03/02/21



(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव